



## सार्वजनिक नीलामी द्वारा चल/अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु सूचना

(वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियमानुसार)(नियम 8 (6) के तहत)

यद्यपि प्राधिकृत अधिकारी प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) एवं सहपठित नियमों के अंतर्गत खातेदार को उनके सम्मुख अंकित तिथियों को नोटिस जारी कर उनसे 60 दिनों के अंदर नोटिस में वर्णित राशि अदा करने की मांग की थी। ऋणी/जमानतदारों द्वारा उपरोक्त समय की अवधि में राशि जमा नहीं करने के कारण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) एवं सहपठित नियम (8) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न वर्णित खातों में उनके सम्मुख अंकित तिथि को बंधक सम्पत्तियों पर कब्जा प्राप्त कर लिया गया। इस पर भी ऋणी/जमानतदारों द्वारा राशि जमा नहीं करने के कारण निम्न सम्पत्तियों का विक्रय निविदा निमंत्रण द्वारा किया जा रहा है।

| क्र. सं. | खाते का नाम/ कर्जदार/जमानती   | बंधक सम्पत्ति का विवरण/ सम्पत्ति स्वामी  | मांग सूचना की तारीख/देय राशि   | सांकेतिक कब्जा 13(4) की तारीख | रिजर्व मूल्य लाख में/अर्नेस्ट मनी | EMD जमा करने की अंतिम तिथि व नीलामी का स्थान व समय                                   |
|----------|---|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1        | 1. श्री रोशन बेग पुत्र श्री नाजिम बेग, निवासी- मौहल्ला-नौगजा, तहसील व जिला-अमरोहा (उ.प्र.) (ऋणी) 2. श्रीमती सुरैया बेगम पत्नी श्री रोशन बेग, निवासी-मौहल्ला-नौगजा, तहसील व जिला-अमरोहा (उ.प्र.)। (गारन्टर एवं बंधककर्ता) 3. सुहेल बुग पुत्र श्री रोशन बेग, निवासी-मौहल्ला-नौगजा, तहसील व जिला-अमरोहा (उ.प्र.)। (गारन्टर)<br>शाखा : लकड़ा चुंगी, अमरोहा (उ.प्र.)। खाता सं. : 86348546140772  | संपत्ति स्थित है-मौहल्ला-नौगजा, तहसील व जिला-अमरोहा (उ.प्र.), क्षेत्रफल-24.00 वर्ग मीटर, (नामित श्रीमती सुरैया बेगम पत्नी श्री रोशन बेग) बही सं. 1, जिल्द सं. 2342, पृष्ठ सं. 315-316, क्रमांक सं. 1652, दिनांक 02.03.1994 सब रजिस्ट्रार कार्यालय, अमरोहा में पंजीकृत।<br>चौहद्दी : उत्तर-कैफियान रानी, दक्षिण-सरदार अहमद, पूर्व-सड़क, पश्चिम-साबिर पीर जी।  | 08.09.2022<br>रु. 6,54,861.50/-<br>+ब्याज एवं अन्य खर्चें  | 28.11.2022                    | 11,52,000/-<br>1,15,200/-         | नीलामी से पूर्व नीलामी की दिनांक 27.09.2024<br>स्थान- शाखा अमरोहा<br>समय : 11:00 बजे |
| 2        | 1. श्री रशीद अहमद पुत्र श्री अब्दुल मजीद, निवासी-मकान सं. 225, मौहल्ला, कुरैशी, अमरोहा (ऋणी) 2. श्री अब्दुल कय्यूम पुत्र श्री मौहम्मद साबिर, निवासी-मकान सं. 489, मौहल्ला कुरैशी, अमरोहा। (सह अनुबंधी) 3. श्रीमती अकबरी खातून पत्नी श्री रशीद अहमद, निवासी-मकान सं. 225, मौहल्ला कुरैशी, अमरोहा (सह अनुबंधी एवं बंधककर्ता)<br>शाखा : मुख्य शाखा, अमरोहा। खाता सं. : 8608JH20024277  | एक आवासीय भवन स्थित है-मौहल्ला कुरैशी तहसील एवं जिला-अमरोहा, क्षेत्रफल-60.63 वर्गमीटर, श्रीमती अकबरी खातून पत्नी श्री रशीद अहमद, निवासी-मकान सं. 225, मौहल्ला कुरैशी, अमरोहा।<br>चौहद्दी : पूर्व-मकान अल्लादिया, पश्चिम-मकान अंसारी ब्रदर्स, उत्तर-रास्ता 1.21 मीटर चौड़ा, दक्षिण-मकान कमर आलम।  | 02.02.20218<br>रु. 2,41,518.00/-<br>+ब्याज एवं अन्य खर्चें   | 22.08.2019                    | 7,02,000/-<br>70,200/-            | नीलामी से पूर्व नीलामी की दिनांक 07.09.2024<br>स्थान- शाखा अमरोहा<br>समय : 11:00 बजे |
| 3        | 1. श्री फजुलक पुत्र श्री अल्लादिया, निवासी-ग्राम खेड़ा, पोस्ट-अपरौला, तहसील-नौगावां सादात, जिला-अमरोहा वर्तमान निवासी-मौहल्ला छेबड़ा, अमरोहा, तहसील व जिला-अमरोहा (ऋणी एवं बंधककर्ता) 2. श्री शाका उल हक पुत्र अल्लादिया, निवासी-ग्राम खेड़ा, पोस्ट-अपरौला, तहसील-नौगावां सादात, जिला-अमरोहा। (सह अनुबंधी) 3. श्री मौहम्मद शरीफ पुत्र श्री बुन्दू खान, निवासी-ग्राम खेड़ा, पोस्ट-अपरौला, तहसील-नौगावां सादात, जिला-अमरोहा। (सह अनुबंधी)<br>शाखा : मुख्य शाखा, अमरोहा। खाता सं. : 8608IB43464246   | एक मकान स्थित है-मौहल्ला छेबड़ा, अमरोहा, तहसील एवं जिला-अमरोहा, जिसका क्षेत्रफल 52.50 वर्ग मीटर है एवं जोकि विक्रय विलेख सं. 11862/2017 द्वारा उप-निबंधक कार्यालय अमरोहा में पंजीकृत है। श्री फजुलक पुत्र श्री अल्लादिया, निवासी-ग्राम खेड़ा, पोस्ट-अपरौला, तहसील-नौगावां सादात, जिला-अमरोहा वर्तमान निवासी-मौहल्ला छेबड़ा, अमरोहा, तहसील एवं जिला-अमरोहा।<br>चौहद्दी : पूर्व-आराजी कब्रिस्तान, पश्चिम-रास्ता 3.66 मीटर चौड़ा, उत्तर-मकान कामिल, दक्षिण-मकान मेराज।  | 18.06.2019<br>रु. 13,12,113.00/-<br>+ब्याज एवं अन्य खर्चें   | 03.10.2019                    | 18,87,000/-<br>1,88,700/-         | नीलामी से पूर्व नीलामी की दिनांक 07.09.2024<br>स्थान- शाखा अमरोहा<br>समय : 11:00 बजे |
| 4        | 1. श्री फजुलक पुत्र श्री अल्लादिया, निवासी-ग्राम खेड़ा, पोस्ट-अपरौला, तहसील-नौगावां सादात, जिला-अमरोहा। (ऋणी) 2. श्री अमित उर्फ अमित कुमार पुत्र श्री दिनेश, निवासी-ग्राम तेलीपुरा माफ्री, पोस्ट-मानकजूडी, तहसील व जिला-अमरोहा। (सह अनुबंधी) 3. श्रीमती कासिमा बेगम उर्फ कासिमा पत्नी श्री मुज्जम्मिल हुसैन उर्फ मुज्जम्मिल, निवासी-मौहल्ला बेगम सराय कलां, तहसील एवं जिला-अमरोहा। (सह अनुबंधी एवं बंधककर्ता)<br>शाखा : मुख्य शाखा, अमरोहा। खाता सं. : 86088531036767   | एक आवासीय मकान स्थित है तकिया मोती शाह, गुलाम रसूल मस्जिद के सामने, अमरोहा, तहसील व जिला-अमरोहा जोकि विक्रय विलेख सं. 8968/ 2013 के द्वारा उप-निबंधक, अमरोहा कार्यालय में पंजीकृत है, क्षेत्रफल 70 वर्ग मीटर, श्रीमती कासिमा बेगम उर्फ कासिमा पत्नी श्री मुज्जम्मिल हुसैन उर्फ मुज्जम्मिल, निवासी-मौहल्ला बेगम सराय कलां, अमरोहा, तहसील एवं जिला-अमरोहा, वर्तमान निवासी-तकिया मोती शाह, अमरोहा, तहसील व जिला-अमरोहा। चौहद्दी : पूर्व-आराजी तसलीम, पश्चिम-रास्ता मुशतर्का 10 फीट चौड़ा, उत्तर-रास्ता मुशतर्का 10 फीट चौड़ा, दक्षिण-खाली भूखंड अन्य। | 18.06.2019<br>रु. 9,35,750.00/-<br>+ब्याज एवं अन्य खर्चें  | 03.10.2019                    | 14,10,000/-<br>1,41,000/-         | नीलामी से पूर्व नीलामी की दिनांक 07.09.2024<br>स्थान- शाखा अमरोहा<br>समय : 11:00 बजे |
| 5        | 1. मैसर्स शानू टेक्सटाइल्स, प्रोपराइटर श्री शरीफ अहमद पुत्र श्री अब्दुल रशीद, निवासी-मौहल्ला इस्लामनगर, अमरोहा (ऋणी एवं बंधककर्ता) 2. श्री अब्दुल वाहिद पुत्र श्री मुन्ने, निवासी-ग्राम मौहल्ला बटवाल, अमरोहा। (सह अनुबंधी) 3. श्रीमती आसिमा खातून पत्नी श्री जमील अहमद, निवासी-मौहल्ला बटवाल, अमरोहा। (सह अनुबंधी)<br>खाता सं. : 8608IB07937759 शाखा : मुख्य शाखा, अमरोहा।   | एक भूखंड स्थित है-मौहल्ला इस्लामनगर, अमरोहा तहसील एवं जिला-अमरोहा, क्षेत्रफल-210.78 वर्ग मीटर, श्री शरीफ अहमद पुत्र श्री अब्दुल रशीद, निवासी-मौहल्ला इस्लामनगर, अमरोहा।<br>चौहद्दी : पूर्व-रास्ता 16 फीट चौड़ा, पश्चिम-आराजी अहसान अहमद एवं अन्य, उत्तर-आराजी अहसान अहमद एवं अन्य, दक्षिण-रास्ता 16 फीट चौड़ा।   | 20.11.2012<br>रु. 7,65,215.00/-<br>+ब्याज एवं अन्य खर्चें  | 06.05.2013                    | 11,15,000/-<br>1,11,500/-         | नीलामी से पूर्व नीलामी की दिनांक 07.09.2024<br>स्थान- शाखा अमरोहा<br>समय : 11:00 बजे |
| 6        | 1. श्री अश्वनी कुमार चौधरी पुत्र श्री मूल्य राज सिंह, निवासी-मोह. शाह अली सराय, अमरोहा, तहसील व जिला अमरोहा। (ऋणी) 2. श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री अश्वनी कुमार चौधरी उर्फ अश्वनी कुमार, निवासी-मोह. शाह अली सराय, अमरोहा, तहसील व जिला अमरोहा। (श्रणी एवं बंधककर्ता) 3. श्री तरुण चौधरी उर्फ तरुण कुमार पुत्र श्री अश्वनी कुमार उर्फ अश्वनी कुमार चौधरी, निवासी-मोह. शाह अली सराय, अमरोहा, तहसील व जिला अमरोहा। (सह अनुबंधी) 4. कुमारी भावना उर्फ भावना यादव पुत्री श्री जयप्रकाश उर्फ जयप्रकाश यादव, निवासी-शाह अली सराय, अमरोहा, तहसील एवं जिला-अमरोहा।<br>खाता सं. : 8608NC37178694 & 8608NC39055829 शाखा : मुख्य शाखा, अमरोहा। | एक भूखंड वर्तमान में रिहायशी मकान स्थित है मोह. शाह अली सराय, अमरोहा, तहसील व जिला-अमरोहा जोकि विक्रय विलेख सं. 20031/2015 के द्वारा उप-निबंधक अमरोहा कार्यालय में पंजीकृत है। श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री अश्वनी कुमार उर्फ अश्वनी कुमार चौधरी, निवासी-मोह. शाह अली सराय, अमरोहा, तहसील व जिला-अमरोहा।<br>चौहद्दी : पूर्व-रास्ता 1 मीटर चौड़ा एवं मियां शाह, पश्चिम-मकान रामऔतार एवं रमेश एवं मुन्नालाल, उत्तर-मकान प्रभुदयाल, दक्षिण-मकान संजय माहेश्वरी।   | 16.04.2021<br>कुल<br>रु. 7,20,116.18/-<br>खाता सं.<br>8608NC37178694<br>रु. 6,13,532.18/-<br>खाता सं.<br>8608NC39055829<br>रु. 1,06,584.00/-<br>+ब्याज एवं अन्य खर्चें | 04.03.2022                    | 13,85,000/-<br>1,38,500/-         | नीलामी से पूर्व नीलामी की दिनांक 07.09.2024<br>स्थान- शाखा अमरोहा<br>समय : 11:00 बजे |

### सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण/अन्य जानकारी संबंधित शाखा के पास उपलब्ध है।

नीलामी की नियम व शर्तें :- 1. नीलामी के समय बोलीदाता को आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत बयाना राशि के लिए ड्राफ्ट/पे-आर्डर/आरटीजीएस/एनईएफटी जो प्राधिकृत अधिकारी प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक के पक्ष में देय हो, निर्धारित समय से पूर्व जमा करना अनिवार्य है। 2. बोलीदाता को अपना पहचान पत्र/आधार कार्ड साथ लाना होगा। बोलीदाता की बोली स्वीकार होते ही नीलामी बोली का 25 प्रतिशत राशि का ड्राफ्ट/पे-आर्डर तुरन्त जमा करना होगा तथा शेष राशि 15 दिन के अंदर जमा करनी होगी। अन्यथा पूर्व में जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। 3. उपरोक्त सम्पत्तियों का विक्रय 'जहां है जैसा है' के आधार पर किया जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी बिना कारण दर्शाए किसी भी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 4. असफल बोलीदाता के ड्राफ्ट/पे-आर्डर/आरटीजीएस/एनईएफटी नीलाम सम्पत्ति के बाद उसी दिन बिना ब्याज के वापस कर दिए जाएंगे। 5. हस्तांतरण संबंधी खर्चें जैसे स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन शुल्क इत्यादि सभी विधि समस्त खर्चें सफल बोलीदाताओं द्वारा वहन किए जाएंगे। 6. सम्पत्ति पर समस्त सरकारी करों व देयताओं की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। 7. अन्य जानकारी हेतु उपरोक्त पते पर किसी भी कार्य दिवस में ली जा सकती है। 8. नीलामी आरक्षित मूल्य से शुरू होगी तथा बोलीदाता पांच हजार के गुणांक में अपने प्रस्ताव में सुधार करेंगे, नीलामी बंद होने पर उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित कर दिया जाएगा। 9. यदि ऋणी नीलामी की तारीख से पूर्व बैंक की सम्पूर्ण बकाया राशि अदा कर देता है तो नीलामी रद्द कर दी जाएगी। 10. यह नोटिस कर्जदार और जमानतदार को 30 दिन का नोटिस पढ़ा जाए।